न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/23/2021 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 01.09.2021

उनवान

1. माधुलाल पिता जीतू जाति जाट आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. उदयराम पिता भेरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. उदयराम पिता रामेश्वरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. माधुलाल पिता रामेश्वरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मु0 पारस पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नारायणलाल पिता रामा जाति जाट आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

––अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री कृष्णगोपाल झंवर, श्री ललित झंवर –प्रार्थी
एकतरफा –अप्रार्थीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) :–

निर्णय दिनांकः 24.01.2023

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम तस्वारिया तहसील कपासन में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1072 रकबा 0.91 है0 स्थित हैं तथा उक्त आराजी पर आवागमन हेतू रास्ता 15 फीट चौड़ा ट्रैक्टर बैलगाडी, मवेशी आदि लाने ले जाने हेतू आम रास्ता नम्बर 961 से होकर पूर्व दिशा में स्थित विपक्षी नम्बर 1 से 4 तक की आराजी नं0 1077–1070 की दक्षिणी पाली पर होकर आगे विपक्षी नं0 5 की आराजी नम्बर 1071 की दक्षिणी पाली पर होकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 1071 के उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रवेश करता हैं यह रास्ता प्रार्थी की उक्त आराजी पर आवागमन के लिये वर्षो से चालू हैं मगर राजस्व रेकार्ड में इसका अंकन नहीं हैं।

यह कि राजस्व रेकार्ड मे रास्ते का अंकन नहीं होने से विपक्षीगण अपनी आराजीयात में से होकर प्रार्थी को अपनी आराजीयात नम्बर 1072 में आवागमन में रूकावट डालते हैं तथा विवाद करते हैं जबकि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की उक्त आराजी पर आवागमन हेतू अन्य कोई रास्ता सुलभ नहीं हैं।

उक्त विवाद की स्थिति से बचने हेतु प्रार्थी उक्त आराजी पर आवागमन हेतू विपक्षीगण की आराजीयात के दक्षिण पाली पर होकर 15 फीट चौडा रास्ता चाहता हैं और इस हेतू निर्धारित राशि जमा कराने के लिये तैयार हैं अतः उक्त रास्ता की भूमि का सर्किल राशि के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally Signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:59 IST
Reason: SelfAttested

बदले दिया जाना आवश्यक हैं अन्यथा प्रार्थी को अपनी उक्त जमीन पर आना जाना असंभव हो जायेगा।

प्रार्थी ने विपक्षीगण को उक्त रास्ते के बाबत कहा तो तैयार नहीं है अतः यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं जिसकी शुरूआत दिनांक 10.08.2021 से है व निरन्तर पैदा हो रही हैं।

अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना की कि–

1. प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1077–1070–1071 की दक्षिणी पाली पर 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने बाबत् आदेश प्रदान किया जावें।
2. उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिफल राशि जो भी निर्धारित की जावें वह राशि प्रार्थी जमा कराने हेतू तत्पर हैं।
3. अन्य अनुतोष जो न्यायोचित हो वह दिलाया जावें।

हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। व बिन्दुवार मौका रिपोर्ट बाबत् तहसीलदार कपासन को मौका कमिश्नर नियुक्त किया। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 15.12.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से पास की आराजी में न्यूनतम दूरी का रास्ता कायम करा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी मौजा तस्वारिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया की आ0न0 1072 रकबा 0.91 है0 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी द्वारा अपनी खातेदारी आ0 नं0 1072 में आने जाने हेतु आ0 नं0 961 के पूर्वी दिशा की आ0 नं0 1077, 1070, 1071 के दक्षिणी भाग में से चाहता है जो कि लघुत्तम दूरी पर होकर 274 मीटर दूरी पर होकर जिसका अनुपातिक रकबा 0.11 है0 बनता है। प्रार्थी के बताये अनुसार पूर्व में यही से सुलभ रूप से आवाजाही की जाती रही है। रकबा अनुसार आ0 नं0 1077 = 116×4 = 464 वर्गमीटर, आ0 नं0 1070 = 126 × 4 = 504 वर्गमीटर, आ0 नं0 1071 = 26 × 4 =104 वर्ग मीटर कुल रकबा 1072 वर्गमीटर (पर्यांक 0.11 है0) किन्तु विपक्षी पक्षकारान अन्य खातेदारान की आराजी नं0 10[illegible] 10[illegible] 1069 एवं 1071 में से रास्ता देने में सहमत है जो कि वादी की आरा[illegible] 374 मीटर की दूरी पर होकर अधिकतम दूरी पर है। सा[illegible] वर्णित आराजीयात के पक्षकार नहीं बनाया है। आ0 नं0 1071 व 1073 [illegible]नो आराजी एक ही खातेदार की होने से मध्य में विपक्षीगण रास्ता नहीं देना चाहता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:59 IST
Reason: Self Attested

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

सूचना पत्र के बाद मौके पर पहुंच कर सहमति के प्रयास में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण में कोई सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

प्रस्तावित लघुत्तम रास्ता

आ0नं0 1077 में से लम्बाई 116 मी0 × चौडाई 4 मी0 = 464 वर्ग मीटर

आ0नं0 1070 में से लम्बाई 126 मी0 × चौडाई 4 मी0 = 504 वर्ग मीटर

आ0नं0 1071 में से लम्बाई 26 मी0 × चौडाई 4 मी0 = 104 वर्ग मीटर

कुल किता 3 कुल रकबा 1072 वर्ग मीटर (पूर्णांक 0.11 है0)

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा तस्वारिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 1072 रकबा 0.91 है0 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1077, 1070, 1071 से रास्ता चाह रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा तस्वारिया की आ0 सं0 1072 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो, भूमि में से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:15:59 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा तस्वारिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 1072 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा तस्वारिया की आराजीयात आ.न. 1077, 1070, 1071 है। जिसका रकबा क्रमशः 116 × 4 = 464 वर्ग मीटर, 126 × 4 = 504 वर्ग मीटर, 26 × 4 = 104 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 10.10.2022 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 1072 वर्गमीटर की डीएलसी दर 531563 × 0.1072 = 56984 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 113968/– रूपये अक्षरे एक लाख तैरह हजार नौ सौ अढसठ रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम का हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:59 IST
Reason: SelfAttested